संख्या-5/2024/एम-13/94-स्टा0रजि0-2-2024-यू0ओ0-51/2023

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोयडा/ग्रेटर नोयडा।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2024**

विषय-लिगेसी स्टाल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए श्री अमिताभ कान्त वाजपेयी (एक्स-सी0ई0ओ0 नीति आयोग), भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियो के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-6011/2023, दिनांक 21.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर से एक बड़ी संख्या में अपार्टमेंट क्रेताओं को राहत देने की पहल की गयी है।

2- आप विदित ही है कि ये क्रेतागण बहुत समय से अपने अपार्टमेंट की विधिवत रजिस्ट्री की प्रतीक्षा में हैं, एवं उपरोक्त शासनादेश की मंशा तभी पूर्ण होगी, जब वास्तविक रूप से ये रजिस्ट्री हो जायें। इस प्रकार समयबद्ध तरीके से रजिस्ट्री पूर्ण करवाना ही इस शासनादेश के अनुपालन का एक मात्र उपाय है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इन रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य का बहुमूल्य राजस्व भी स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क के रूप में प्राप्य है, जिसे इस विभाग की आय के अनुमान के नियोजन में लिया गया था। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग में राजस्व सृजन का प्रमुख माध्यम अचल सम्पत्ति के संव्यवहार हैं। यदि संव्यवहार विवादित हो जाते हैं तो इससे विभाग का राजस्व प्रभावित होता है, परन्तु जब शासन द्वारा एक नीतिगत पहल करके एक बड़ी संख्या में संव्यवहारों को सरल एवं निर्विवाद कर दिया गया हो, तो ऐसे में स्थलीय प्रयास के अभाव के कारण संव्यवहारों का न होना, एवं फलस्वरूप राज्य का बहुमूल्य राजस्व प्राप्त न होना पूर्णतः अस्वीकार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस विषय में स्थानीय स्तर पर इस विभाग के अधिकारीगण आपसे सम्पर्क करते रहे हैं, साथ ही इस विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन द्वारा भी स्थल पर समीक्षा करते हुए आपसे भेंट की गई थी। नोयडा द्वारा जनवरी के अन्त से एवं ग्रेटर नोयडा द्वारा फरवरी के मध्य से अधिक से अधिकाधिक संव्यवहार करवाने का आश्वासन दिया गया था। यह खेद की बात है कि फरवरी के अन्त तक भी संव्यवहरों की संख्या बहुत कम है। विभागीय राजस्व की समीक्षा में मुख्य सचिव स्तर से भी आपके अधीन होने वाले संव्यवहारों से प्राप्य आय के फलीभूत न होने पर असन्तोष प्रकट किया गया है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इन प्रकरणों पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, सुनियोजित तरीके से बिल्डर/विक्रेताओं को समय अनुसार आबद्ध करते हुए इन संव्यवहारों को पूर्ण करवाने व इस विभाग के स्तर से जिस सहयोग की अपेक्षा हो, उससे तत्काल अवगत करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्याः-5/2024/एम-13(1)/94-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- उप महानिरीक्षक, गौतमबुद्धनगर वृत्त को इस आशय के साथ प्रेषित कि गौतमबुद्धनगर वृत्त के समस्त उप निबंधकों को भी उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3- सहायक महानिरीक्षक गौतमबुद्धनगर।
4- औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को उनके उक्त पत्र संख्या-7774/77-4-2023-6011/2023, दिनांक 21.12.2023 के क्रम में।
5- गार्ड फाइल।

भवदीय,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in